

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-31.08.2022

सेवा में,

Ramakant Singh,
MIMEC IT PARK PVT LTD
MIMEC IT PARK BUILDING, Plot No.4, NAMKUM ROAD, RANCHI-834010

विषय:- MIMEC IT PARK PVT LTD भवन का अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार समर्पित प्रस्ताव के आलोक में संबंधित भवन के अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, डोण्डा, राँची से कराई गई। उन्होंने अपने ज्ञापांक-716 दिनांक-28.08.2022 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है कि :-

1. Set-Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा।
2. भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लिया जायेगा।
5. अपातकाल की अवस्था के लिए Escape Routes के साथ-साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का Display समुचित स्थानों पर किया जायेगा तथा हर समय उसे संधारित रखा जायेगा।
6. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा न ही बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
7. समय-समय पर Hose Reel Hose एवं Hydrant के पानी को flush-out किये जाने की व्यवस्था की जाय।
8. भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीकों की जानकारी का रहना आवश्यक है।
9. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रिल में वर्ष में कम से कम दो बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
10. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
11. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
12. किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
13. Smoke Detectors को वैकल्पिक पावर से हमेशा जोड़कर रखा जाय ताकि किसी भी परिस्थिति में उसका स्वचालन बाधित न हो सके।
14. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
15. आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्ले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
16. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र का दिनांक-30.08.2023 तक के लिये मान्य है।

JAGJEEWAN RAM

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: cn=A, o=GOVERNMENT OF JHARHAND, ou=HOME JAL AND DISASTER
RECORDS/RENT,
2.5.4.201461360ffa747613d24e403b501134ec29c2b6890e31c4ac9f889151647,
postalCode=834002, st=Jharkhand,
serialNumber=10282706470147436436660019747bc801d90f5ec025645383109431
a7b, c=JAGJEEWAN RAM
Date: 2022.08.31 12:11:29 +05'30'